



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 20.11.2024

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 01 वांछित अभियुक्त एवं NBW में 03 वारण्टी गिरफ्तार।

दिनांक- 19/20.11.2024 को-

01-थाना माल में पंजीकृत मु0अ0सं0 348/24 धारा 309(6) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त राजू गिरफ्तार।

एवं

NBW में थाना काकोरी से 02, थाना नगराम से 01 वांछित वारण्टी गिरफ्तार।

जोन-दक्षिणी

थाना कृष्णानगर-

दिनांक 19.11.2024 को वादिनी श्रीमती रेनू यादव पत्नी संजय यादव निवासिनी 561/106 सिन्धू नगर थाना कृष्णानगर लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी जिसमें दिनांक 18.11.2024 समय करीब 22.30 बजे वादिनी के पति जो blinkit में काम करते हैं के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल सं0- यूपी32डीआर5133 को पानी की टंकी के पास सैहेसो बीर मंदिर पर खड़ी की थी जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है, तथ्य अंकित है। वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0 547/2024 अंतर्गत धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कृष्णानगर -

आज दिनांक 20.11.2024 को समय करीब 09.50 बजे लोकबंधु अस्पताल लखनऊ से एक किता मेमो थाना स्थानीय पर इस आशय से भेजा गया जिसमें दिनांक 19.11.2024 को समय करीब 19.45 बजे अनुज शर्मा उम्र करीब 23 वर्ष को मृत अवस्था में इस अस्पताल में लाया गया। इस सूचना पर उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह थाना कृष्णानगर द्वारा मौके पर पहुंचकर परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। जिनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को समय करीब 19.00 बजे अनुज शर्मा ई-रिक्शा पर बैठ कर लखनऊ की तरफ से स्कूटर इंडिया की तरफ आ रहे थे कि स्कूटर इंडिया चौराहे के पास अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा पलट गया। जिससे ई-रिक्शा पर बैठे अनुज शर्मा पुत्र राजनरायन शर्मा निवासी पो0 राधेखेड़ा थाना बंधरा लखनऊ गंभीर रूप से घायल हो गये। जिन्हें वहां मौजूद लोगों द्वारा इलाज हेतु एंबुलेंस की मदद से लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों द्वारा अनुज शर्मा उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया।

